

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। CD 10 3016

सेवा में.

कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 13 मई, 2016

विषय: प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजनान्तर्गत 'दलहनी एवं तिलहनी' फसलों के बीजों पर विशेष प्रोत्साहन हेतु कृषकों को उन्नतशील प्रजातियों पर अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः एस०एफ०/1250 टी/प्रस्ताव/2015-16 दिनांक 25 फरवरी, 2016 तथा एस०एफ०/19-टी/टी-29/2015-16 दिनांक 26 अप्रैल, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2016-17 से दलहनी एवं तिलहनी फसलों के उत्पादन हेतु विशेष प्रयास करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विगत कई वर्षों से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अर्थात असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि से मुख्य रूप से दलहनी एवं तिलहनी फसलों को क्षति के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है तथा बीजों की कीमत में अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप कृषकों को दलहन एवं तिलहन फसलों के प्रमाणित बीज क्रय करने में कठिनाई के दृष्टिगत दलहनी एवं तिलहनी फसलों के आच्छादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु कृषकों को विशेष प्रोत्साहन दिये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीजों पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(क) वर्ष 2016-17 से दलहनी फसलों यथा उर्द, मूंग, अरहर, चना, मटर एवं मसूर को प्रोत्साहित किए जाने के उददेश्य से राज्य सेक्टर से प्रमोशनल प्रजाति पर अनुमन्य अनुदान रूपये 800/- प्रति कुंतल, मेन्टीनेन्स प्रजाति पर अनुमन्य अनुदान रूपये 600/- प्रति कुंतल के स्थान पर दलहनी फसलों की 15 वर्ष तक की आयु की समस्त प्रजातियों के बीजों पर निम्नानुसार अनुदान दिया जायेगा:-

अ (क्रिंग) देशा पर निम्न

MODST 17-73-16

ADM(SF)

1615/16



क्र0सं0	फसल	प्रस्तावित्र अनुदान (रू०/ कुं0) 2000.00		
1	खरीफ दलहन- उर्द,			
	मूंग एवं अरहर	(15 वर्ष तक की आयु की समस्त प्रजातियों के बीजों पर)		
2	रबी दलहन- चना,	1500.00		
	मटर एवं मसूर	(15 वर्ष तक की आयु की समस्त प्रजातियों के बीजों पर)		

(ख) वर्ष 2016-17 से तिलहनी फसलों यथा तिल, मूंगफली, सोयाबीन, राई/सरसों, तोरिया एवं अलसी को प्रोत्साहित किए जाने के उददेश्य से राज्य सेक्टर से तिल एवं मूंगफली की प्रमोशनल प्रजाति पर अनुमन्य अनुदान रूपये 800/- प्रति कुंतल, मेन्टीनेन्स प्रजाति पर अनुमन्य अनुदान रूपये 600/- प्रति कुंतल के स्थान पर तिलहनी फसलों की 15 वर्ष तक की आयु की समस्त प्रजातियों पर निम्नानुसार अनुदान दिया जायेगा:-

क्र०सं०	फसल	प्रस्तावित अनुदान (रू०/कुं०) 1500.00		
1	खरीफ तिलहन- तिल, मूंगफली एवं सोयाबीन की समस्त प्रजाति			
2	रबी तिलहन- राई/सरसों, तोरिया एवं अलसी की समस्त प्रजाति	800.00		

- 2. केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत देय अनुदान तथा राज्य सरकार से देय अनुदान बीज के बाजार मूल्य के 50 प्रतिशत तक की सीमा तक ही उपलब्ध कराया जायेगा।
- 3. विगत खरीफ, 2015 में तिल के बीज पर बुन्देलखण्ड में अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराया गया था, जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। इस वर्ष भी यह अतिरिक्त अनुदान जारी रखा जायेगा। बुन्देलखण्ड के सात जनपदों के अतिरिक्त मिर्जापुर, सोनभद्र एवं फतेहपुर में भी तिल के बीज पर अतिरिक्त अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि इन तीनों जनपदों में रबी 2015-16 में मिटटी में नमी न होने के कारण आच्छादन सामान्य की तुलना में कम हुआ था। इन सभी दस जनपदों में तिल के उत्पादन की अच्छी सम्भावना है। अतः उपरोक्त 10 जनपदों में वर्ष 2016-17 में तिल बीज वितरण पर राज्य सेक्टर से रूपये 88/- प्रति किलोग्राम की दर से विशेष अनुदान दिया जायेगा। केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत देय अनुदान केन्द्र सरकार की गाइड-लाईन के अनुसार उक्त के अतिरिक्त देय होगी। इन जनपदों में तिल की प्रजातियों पर देय अनुदान पर 50 प्रतिशत की सीमा लागू नहीं होगी।



4- उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य मेक्टर से प्रदेश के समस्त जनपदों में दलहन एवं तिलहन के प्रमाणित बीजों के वितरण पर कुल प्रस्तावित अनुदान की धनराशि रूपये 27.9075 करोड़ का व्यय होने का अनुमान है। फसलवार बीज वितरण लक्ष्य एवं अनुदान की धनराशि की आवश्यकता का आंकलन निम्नवत है:-

क्र0सं0	फसल	वितरित की जाने वाली मात्रा(कुं0 में)	अनुदान दर (रू०/ कुं0)	कुल व्यय (लाख रूपये में)
1	उ र्द	16000	2000	320.00
2	मूंग	6000	2000	120.00
3	अरहर	18000	2000	360.00
4	तिल (सामान्य जनपद)	450	1500	6.75
5	तिल (विशेष अनुदान)	1500	8800	132.00
6	म्ंगफली	2000	1500	30.00
7	सोयाबीन	2000	1500	30.00
	योग खरीफ:	45950		998.75
1	चना	50000	1500	750.00
2	मटर	34000	1500	510.00
3	मसूर	32000	1500	480.00
4	राई	5000	800	40.00
5	तोरिया	1000	800	08.00
6	अलसी	500	800	04.00
	योग रबी:	122500		1792.00
	कुल योगः	168450		2790.75

5. अतः प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजनान्तर्गत दलहेनी एवं तिलहेनी बीजों पर अनुदान (राज्य सेक्टर) योजना वर्ष 2016-17 हेतु उपरोक्तानुसार वितरित की जाने वाली विभिन्न फसल प्रजातियों के बीजों की लगभग 1,68,450 कुंतल मात्रा पर कुल धनराशि लगभग रूपये 27.9075 करोड़ का व्यय अनुमानित है। यह



धनराशि वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्रमाणित बीज के मद में प्राविधानित धनराशि से व्यय की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार अनुपूरक मांग/पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्राविधान कराकर उससे व्यय किया जायेगा।

- 6. योजनान्तर्गत लाभार्थियों का विवरण कृषि विभाग की वेबसाइट पर डाला जायेगा तथा शासनादेश संख्या: 3164/12-2-2012-बजट.5/2012 दिनांक 04 अक्टूबर, 2012 की अपेक्षानुसार योजना के अद्यतन मिड-टर्म की वैल्यूवेशन से दिसम्बर, 2016 तक मा0 मंत्रि परिषद को अवगत कराया जायेगा।
- कृपया उक्त निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)

प्रमुख सचिव।

संख्याः 10 /2016/ 12.56/12-2-2016 तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- 1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
- 5. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, फैजाबाद रोड, महानगर, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6. अपर कृषि निदेशक(बीज एवं प्रक्षेत्र), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/ नियोजन अनुभाग-3
- 9. गार्ड फाईल।